व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा एसोसिएशन

बनाम

भारत संघ और अन्य

(2005 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 79)

31 जनवरी 2014

[के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी जेजे.]

भारत का संविधान, 1950:

कला। 21 आर/डब्ल्यू कला। 39, 41 और 42 - स्वास्थ्य का अधिकार - कोयला संचालित थर्मल पावर प्लांट (सीएफटीपीपीएस) में काम करने वाले श्रमिक - गंभीर स्वास्थ्य खतरों और व्यावसायिक स्वास्थ्य विकारों के संपर्क में - अभिनिर्धारित : कला में निहित मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। 21 को अपनी जीवन सांस राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, विशेष रूप से कला के खंड (ई) और (एफ) से मिलती है। 39, कला। 41 और 42- उन अनुच्छेदों में श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा और काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ शामिल हैं - जब श्रमिक ऐसे खतरनाक और जोखिम भरे कामों में लगे होते हैं, तो राज्य पर जिम्मेदारी और कर्तव्य दोगुना हो जाता है - व्यावसायिक

स्वास्थ्य और सुरक्षा सीएफटीपीपीएस के मुद्दे थर्मल डिस्चार्ज, वायु और कोयला उत्सर्जन, आग के खतरों, विस्फोट के खतरों आदि से जुड़े हैं। निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता और श्रमिकों पर हानिकारक प्रभावों को कम करने का अभियान अत्यधिक महत्वपूर्ण है - सीएफटीपीपीएस देश के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए यह जांच करना उचित है कि क्या सीएफटीपीपीएस सुरक्षा मानकों और नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रहे हैं और उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न सीएफटीपीपीएस में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय में पेश किए गए मुद्दे। इसलिए, इस मामले को उनके संबंधित राज्यों में स्थित सीएफटीपीपीएसएस से आवश्यक रिपोर्ट मांगने के बाद राज्य सरकारों की सहायता से मुद्दों की जांच करने के लिए उच्च न्यायालयों में भेज दिया गया है।

याचिकाकर्ता, एक गैर-लाभकारी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संगठन ने, अन्य बातों के अलावा, देश भर में अपने श्रमिकों के लिए विभिन्न कोयला संचालित थर्मल पावर प्लांट (सीएफटीपीपीएस) द्वारा बनाए जाने वाले व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए न्यायालय के निर्देशों की मांग करते हुए तत्काल रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने थर्मल प्लांटों में काम करने वाले श्रमिकों को कई वर्षों से हो रही गंभीर बीमारियों पर प्रकाश

डाला। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आधे श्रमिकों में फेफड़ों की कार्यप्रणाली में असामान्यताएं, फुफ्फुसीय कार्यप्रणाली में असामान्यताएं, सीने में न्यूरो हानि, त्वचा रोग, अस्थमा आदि थे। न्यायालय ने 30.1.2008 को अपने अंतरिम आदेश में उसके समक्ष रखे गए 9 मुख्य सुझावों को नोट किया। यह बताया गया कि सुझाव संख्या 1 से 7 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि वे व्यापक रूप से विभिन्न मौजूदा अधिनियमों में शामिल थे और परिणामस्वरूप प्रासंगिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावसायिक कार्रवाई की जाएगी, विशेष रूप से, उन क्षेत्रों में। सुझाव. जहां तक सुझाव संख्या का संबंध है। 8 और 9 में कहा गया था कि केंद्र सरकार उनके कार्यान्वयन की जांच करेगी। कोर्ट ने श्रम मंत्रालय को भी लेने का निर्देश दिया था. यह देखने के लिए कदम कि कर्मचारियों के कल्याण की रक्षा के लिए विभिन्न श्रम अधिनियमों के उन सुझावों और प्रासंगिक प्रावधानों को ठीक से लागू किया जाए।

कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 स्वास्थ्य का अधिकार अर्थात स्वच्छ, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार कला से प्राप्त अधिकार है। भारत के संविधान के 21 आजीविका और राष्ट्रीय हित के लिए, कई कर्मचारी खतरनाक, जोखिम भरे और अस्वच्छ वातावरण में काम करते हैं। कला में निहित मानवीय गरिमा

के साथ जीने का अधिकार। 21 को अपनी जीवन सांस राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, विशेष रूप से कला के खंड (ई) और (एफ) से मिलती है। 39, कला। संविधान के 41 और 42 उन अनुच्छेदों में श्रमिकों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ का संरक्षण शामिल है। ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो किसी व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाने के लिए मौजूद होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य का दायित्व और कर्तव्य है कि वह कम से कम मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने वाली न्यूनतम स्थिति प्रदान करे। लेकिन जब श्रमिक ऐसे खतरनाक और जोखिम भरे कामों में लगे होते हैं, तो राज्य पर जिम्मेदारी और कर्तव्य दोगुना हो जाता है। सीएफटीपीपी के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मुद्दे थर्मल डिस्चार्ज, वायु और कोयला उत्सर्जन, आग के खतरों, विस्फोट के खतरों आदि से जुड़े हैं। निकलने वाली धूल में सिलिकोसिस से जुड़ा मुक्त सिलिका भी होता है, आर्सेनिक त्वचा और फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है, कोयले की धूल फेफड़ों के कालेपन का कारण बनती है और संभावित हानिकारक पदार्थ. निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता और श्रमिकों पर हानिकारक प्रभावों को कम करने का अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। [पैरा 10] [18-जी-एच; 19-ए-सी]

उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1995 (1) एससीआर 626 = (1995) 3 एससीसी 42-पर आधारित।

1.2 चूंकि केंद्र सरकार ने पहले ही सुझाव संख्या 1 से 7 को स्वीकार कर लिया है, इसलिए सुझाव संख्या 8 और 9 पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ (एनआईओएच) ने 2011 में अपनी रिपोर्ट में इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.1.2008 में दिए गए सुझावों के संबंध में अपनी सिफारिशें पहले ही कर दी हैं। यह मुद्दा गंभीरता से ध्यान देने की मांग करता है। सीएफटीपीपीएस देश के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। इस न्यायालय के लिए यह जांचना व्यावहारिक नहीं होगा कि सीएफटीपीपीएस सुरक्षा मानकों और अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य से संबंधित नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। इन पहलुओं की जांच संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा बेहतर ढंग से की जा सकती है जिनके अधिकार क्षेत्र में ये बिजली संयंत्र स्थित हैं। उच्च न्यायालयों को यह जांच करनी चाहिए कि क्या पर्याप्त और प्रभावी स्वास्थ्य वितरण प्रणाली मौजूद है, क्या इसका कोई मूल्यांकन किया गया है श्रमिकों की व्यावसायिक स्वास्थ्य स्थिति और क्या उन्हें कोई प्रभावी चिकित्सा उपचार दिया गया है। [पैरा 10, 11, 16 और 17] [19-ई-एफ; 24-ई-जी]

1.3 इसलिए, बुलाए जाने के बाद राज्य सरकारों की सहायता से इन मुद्दों की जांच करने के लिए मामले को संबंधित उच्च न्यायालयों को सौंपना उचित है। अपने संबंधित राज्यों में स्थित सीएफटीपीपी से आवश्यक

रिपोर्ट के लिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि एनआईओएच की वर्ष 2011 की "कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे" शीर्षक वाली रिपोर्ट कुछ पहलुओं में बिल्कुल भी व्यापक नहीं है और संबंधित उच्च न्यायालय इस फैसले में पेश किए गए मुद्दों की स्वतंत्र रूप से जांच कर सकते हैं। अपने-अपने राज्यों में सीएफटीपीपीएस के कामकाज के बारे में रिपोर्ट मंगाना। उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को इस फैसले को संबंधित राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष रखना चाहिए ताकि सीएफटीपीपी में काम करने वाले श्रमिकों के व्यापक हित में स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू की जा सके। संबंधित राज्यों में। [पैरा 7,18-19] [24-एच; 25-ए; 26-ए, बी-सी]

केस कानून संदर्भ:

1995 (1) एससीआर 626 पर भरोसा पैरा 9

नागरिक मूल क्षेत्राधिकार: भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 79/2005।

याचिकाकर्ता के लिए कॉलिन गोंसाल्वेस, दिव्या ज्योति, ज्योति मेंदीरत्ता।

पी.पी. मल्होत्रा, एएसजी, किरण भारद्वाज, एन.के. कौशल, गौरव शर्मा, सुषमा सूरी, अनिल कटियार, वी.के. वर्मा उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

के.एस. राधाकृष्णन, जे. 1. याचिकाकर्ता, एक गैर-लाभकारी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है, ने निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया है :-

ए. विभिन्न उद्योगों द्वारा बनाए रखे जाने वाले व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने वाला परमादेश या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना;

बी. भारत में थर्मल पावर प्लांटों के कामकाज की निगरानी के लिए और काम करने वाले श्रमिकों के लिए उनके बिजली स्टेशन में स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने और गठित करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश

देने वाला परमादेश या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना;

सी. एक परमादेश रिट या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें उत्तरदाताओं को व्यावसायिक स्वास्थ्य विकारों के शिकार श्रमिकों को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए और व्यावसायिक स्वास्थ्य विकारों के मामलों में श्रमिकों के लिए मुआवजे की एक योजना तैयार की जाए।

डी. थर्मल पावर प्लांट द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों के रूप में याचिका के अनुच्छेद 35 में निहित सिफारिशों को अधिसूचित करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए परमादेश रिट या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

2. याचिकाकर्ता भारत में देश के विभिन्न राज्यों में फैले लगभग 130 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट (सीएफटीपीपीएस) का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ कोई उचित व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं या व्यावसायिक सुरक्षा के संबंध में दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं। कारखाना अधिनियम, बॉयलर अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, मुआवजा अधिनियम,

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आदि लागू हैं, लेकिन उचित स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की कमी है। श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन, उनकी सुरक्षा और सुरक्षा गंभीर व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों का कारण बनती है।

3. याचिकाकर्ता ने यहां 2005 के आई.ए. नंबर 1 और 2007 के 2 में उन गंभीर बीमारियों पर प्रकाश डाला गया, जिनसे थर्मल प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी कई वर्षों से पीड़ित हैं। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आधे श्रमिकों में फेफड़े की कार्यप्रणाली में असामान्यताएं, फुफ्फुसीय कार्यप्रणाली में असामान्यताएं, सीने में न्यूरो हानि, त्वचा रोग, अस्थमा आदि हैं। इस न्यायालय ने देश के विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों में काम करने वाले कर्मचारियों के व्यावसायिक खतरों को कम करने के लिए बार में दिए गए। विभिन्न सुझावों पर ध्यान देने के बाद, 30.1.2008 को एक अंतरिम आदेश पारित किया। इस न्यायालय के समक्ष रखे गए मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं:

1. ट्रेड यूनियनों के परामर्श से नियुक्त डॉक्टरों द्वारा सभी कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशनों में सभी श्रमिकों की व्यापक चिकित्सा जांच। पहली मेडिकल

जांच छह महीने के भीतर पूरी करनी होगी। फिर वार्षिक आधार पर किया जाना है।

2. व्यावसायिक बीमारी, बीमारी या दुर्घटना से पीड़ित पाए जाने वाले सभी श्रमिकों को ठीक होने तक या मृत्यु तक मुफ्त और व्यापक चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा।

3. बीमारी के दौरान कर्मियों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी और उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा।

4. किसी भी व्यावसायिक बीमारी, भोजन या दुर्घटना से पीड़ित श्रमिकों को श्रमिक मुआवज़ा अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए।

5. ट्रेड यूनियनों के परामर्श से एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा अनुशंसित श्रमिकों को आधुनिक सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

6. राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (एनआईओएच) अहमदाबाद, गुजरात द्वारा अनुशंसित धूल, गर्मी, शोर, कंपन और विकिरण के नियंत्रण के लिए तुरंत सख्त नियंत्रण उपाय अपनाए जाएंगे।

7. सभी कर्मचारियों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लेखा परीक्षा पर अभ्यास संहिता का पालन करना होगा।

8. खतरनाक कचरे के प्रबंधन, संग्रहण और निपटान के लिए एनआईओएच द्वारा अनुशंसित सुरक्षित तरीकों का पालन किया जाना चाहिए।

9. श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे को देखने और सिफारिशें करने के लिए एनआईओएच द्वारा ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य और सुरक्षा एनजीओ सहित विशेषज्ञों की एक समिति की नियुक्ति।

4. श्री पी.पी. मल्होत्रा विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि सुझाव संख्या 1 से 7 को केंद्र सरकार ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया है कि वे व्यापक रूप से विभिन्न मौजूदा अधिनियमों में शामिल हैं और परिणामस्वरूप संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावसायिक कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से, उन सुझावों में शामिल क्षेत्र। उपरोक्त प्रस्तुतियाँ दर्ज करने के बाद, इस न्यायालय ने श्रम मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया था कि कर्मचारियों के कल्याण की रक्षा के लिए विभिन्न श्रम अधिनियमों

के उन सुझावों और प्रासंगिक प्रावधानों को ठीक से लागू किया जाए। विद्वान एएसजी ने न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या शेष दो सुझाव यानी सुझाव संख्या 8 और 9 को लागू किया जाएगा और यदि हां, तो किस हद तक।

5. रिट याचिका 6.9.2010 को फिर से इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए और इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> "30 जनवरी, 2008 के आदेश के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 दिशानिर्देश संख्या 1 से 7 पर सहमत हुआ था।
>
> हालाँकि, दिशानिर्देश संख्या 8 और 9, पर विचार करने में समय लिया गया। जो मुख्य रूप से एनआईओएच द्वारा विशेषज्ञों की समिति की नियुक्ति से संबंधित है। उस समिति का गठन भी दिशानिर्देश संख्या 9 में वर्णित है। आज, जब मामला इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एनआईओएच द्वारा विशेषज्ञों की समिति का विधिवत गठन किया गया है और यह अगले अवसर पर अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
>
> रिट याचिका आठ सप्ताह तक कायम रहेगी।"

6. भारत सरकार ने बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ (एनआईओएच) द्वारा वर्ष 2011 की कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दे शीर्षक से तैयार की गई समिति की रिपोर्ट पेश की।

7. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कॉलिन गोंसाल्वेस ने उपर्युक्त रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत संघ और समिति ने सुझाव संख्या 8 और 9 के दायरे को गलत समझा है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। ताप विद्युत संयंत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और उनके आवश्यक उपचार के साथ-साथ उन श्रमिकों को वेतन और मुआवजे का भुगतान जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि व्यापक और समय पर चिकित्सा जांच, अनुवर्ती उपचार के साथ-साथ श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, साथ ही वे जिन गंभीर व्यावसायिक बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि ये महत्वपूर्ण पहलू भी, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, समिति द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

8. विद्वान एएसजी ने प्रस्तुत किया कि एनआईओएच की रिपोर्ट व्यापक है और सभी प्रासंगिक पहलुओं का ध्यान रखा गया है और देश के

विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए कई कानून हैं। विद्वान एएसजी ने यह भी प्रस्तुत किया कि समिति ने स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता की सिफारिश की है और सभी बिजली उत्पादन प्राधिकरणों के पास अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र-विशिष्ट व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन ढांचा होना चाहिए। विद्वान एएसजी ने यह भी कहा कि रिपोर्ट को उसके सही अर्थ और भावना के साथ लागू किया जाएगा।

9. उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1995) 3 एससीसी 42 में इस न्यायालय ने माना है कि सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद किसी के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार है, अनुच्छेद 39 (ई), 41, 43, 48-ए और सभी संबंधित अनुच्छेदों के साथ पठित अनुच्छेद 21 के तहत एक श्रमिक का मौलिक अधिकार है और श्रमिक के जीवन को व्यक्ति की गरिमा के साथ सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए मौलिक मानवाधिकार है। न्यायालय ने माना कि अपने और अपने आश्रितों के लिए रोटी जुटाने की गरीबी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जूझ रहे उद्योग में काम करने की अनिवार्य आवश्यकता श्रमिक के स्वास्थ्य और जोश की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।

10. स्वास्थ्य का अधिकार अर्थात स्वच्छ, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 से प्राप्त अधिकार है। स्वच्छ परिवेश से स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का निर्माण होता है। लेकिन, दुर्भाग्य से, आजीविका और राष्ट्रीय हित के लिए, कई कर्मचारी खतरनाक, जोखिम भरे और अस्वच्छ वातावरण में काम करते हैं। अनुच्छेद 21 में निहित मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 39, 41 और 42 के खंड (ई) और (एफ) से अपनी जीवन शक्ति प्राप्त करता है। उन अनुच्छेदों में श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा और काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ शामिल हैं। ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो किसी व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाने के लिए मौजूद होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य का दायित्व और कर्तव्य है कि वह कम से कम मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने वाली न्यूनतम स्थिति प्रदान करे। लेकिन जब श्रमिक ऐसे खतरनाक और जोखिम भरे कामों में लगे होते हैं, तो राज्य पर जिम्मेदारी और कर्तव्य दोगुना हो जाता है। सीएफटीपीपीएस के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दे थर्मल डिस्चार्ज, वायु और कोयला उत्सर्जन, आग के खतरों, विस्फोट के खतरों आदि से जुड़े हैं। निकलने वाली धूल में सिलिकोसिस से संबंधित मुक्त सिलिका भी होता है, आर्सेनिक त्वचा और फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है, कोयले की धूल फेफड़ों के कालेपन का कारण बनती है और संभावित हानिकारक पदार्थ. निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता और

श्रमिकों पर हानिकारक प्रभावों को कम करने का अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

11. भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में से एक है और इसमें कई सीएफटीपीपीएस हैं, जिनके लिए प्रति वर्ष लगभग 440 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होती है। भारत में हमारे पास लगभग 130 सीएफटीपीपीएस हैं। थर्मल पावर प्लांट भारत में खपत होने वाली बिजली का लगभग दो-तिहाई उत्पादन करते हैं, जबकि ऊर्जा की 54.3% मांग कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन से पूरी होती है। एनआईओएच ने 2011 में अपनी रिपोर्ट में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.1.2008 के आदेश में दिए गए सुझावों के संबंध में अपनी सिफारिशें पहले ही कर दी हैं। चूंकि केंद्र सरकार पहले ही सुझाव क्रमांक 1 से 7 तक स्वीकार कर चुकी है, फिलहाल हम सुझाव क्रमांक 8 और 9 को लेकर चिंतित हैं, जिन्हें हम इस प्रकार दोहराते हैं:-

> "8. एनआईसीएच द्वारा अनुशंसित खतरनाक कचरे के प्रबंधन, संग्रह और निपटान के लिए सुरक्षित तरीकों का पालन किया जाना चाहिए।
>
> 9. श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे को देखने और सिफारिशें करने के लिए एनआईओएच द्वारा ट्रेड यूनियन

प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य और सुरक्षा एनजीओ सहित विशेषज्ञों की एक समिति की नियुक्ति।"

12. रिपोर्ट के पैरा 4.1.2 में विभिन्न स्वास्थ्य खतरों का उल्लेख किया गया है और उसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"4.1.2 सामान्य

इन्सुलेशन के लिए खतरनाक सामग्री का उपयोग: इन्सुलेशन के लिए कुछ सामग्री जैसे एस्बेस्टस, ग्लास वूल आदि का उपयोग किया जाता है। यदि ये सामग्रियाँ साँस के द्वारा शरीर में चली जाती हैं या आँख/त्वचा की सतह के संपर्क में आ जाती हैं तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरनाक हैं। ऐसी सामग्रियों को संभालते समय, श्रमिकों को पीपीई प्रदान किया जाना चाहिए और साथ ही अपशिष्ट एस्बेस्टस और ग्लास ऊन का उचित निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आजकल, पी-अरामिड, पॉलीविनाइल अल्कोहल (पीवीए), सेल्युलोज, पॉलीएक्रिलोनिट्राइल, ग्लास फाइबर, ग्रेफाइट जैसे सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं, जिनके उपयोग का पता लगाया जा सकता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों और उत्सर्जन और निर्वहन, राख उपयोग और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में बिजली संयंत्रों के लिए समय-समय पर लागू होने वाले संशोधनों का अनुपालन परिवेश पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ सुरक्षित बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्रमिकों के लिए स्वस्थ कार्य परिस्थितियाँ।

उत्पन्न फ्लाई ऐश का उपयोग नियमानुसार किया जाना चाहिए फ्लाई ऐश उपयोग पर सीपीसीबी की वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट (2009-10) कि अधिसूचना की तारीख से 5 साल के भीतर बिजली संयंत्रों द्वारा 100% उपयोग हासिल किया जाना है (तालिका 17, पृष्ठ 48 देखें)। नए सीएफटीपीपी के लिए, फ्लाई ऐश का उपयोग होना आवश्यक है। तालिका 17 में दी गई अनुसूची के अनुसार विनियमित।

यह वांछनीय है कि कोयला प्रबंधन सुविधाएं यथासंभव यंत्रीकृत और स्वचालित हों।

श्रमिकों को व्यापक लाभ के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए। मोटे तौर पर, इसमें प्रशिक्षित जनशक्ति और बुनियादी ढांचे के साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की सुविधाएं शामिल होनी चाहिए,

जिसमें जांच सुविधाएं, पर्यावरणीय मूल्यांकन, व्यावसायिक स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन और नियमित आधार पर श्रमिकों की प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए। ये सेवाएँ स्वतंत्र और अस्पताल सेवाओं (उपचारात्मक सेवा) से अलग होनी चाहिए, लेकिन उपचारात्मक सेवा के साथ संपर्क में काम करनी चाहिए।

श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रति कार्यकर्ता 8 घंटे की न्यूनतम वार्षिक औसत अवधि शामिल की जाए। श्रमिकों के परिवार के सदस्यों के लिए संयंत्र के आसपास नियमित सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

फ़ैक्टरी अधिनियम के तहत आवश्यक आवधिक चिकित्सा जांच (पीएमई) की जानी चाहिए। हालाँकि, पीएमई के तहत की गई जाँच नौकरी के प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। चूंकि कोयला/राख संभालने वाले श्रमिकों को धूल के संपर्क में आने से संबंधित बीमारियों का खतरा होता है। उन कर्मियों के लिए आवश्यक है. आवश्यकता के मामले में,

स्वास्थ्य जांच जानकारी के अवलोकन के आधार पर पीएमई की आवृत्ति निर्धारित की जा सकती है। उन श्रमिकों के लिए पीपीई प्रदान करने और नौकरी का पुनः स्थान निर्धारित करने पर भी विचार किया जा सकता है।

फैक्ट्री अधिनियम की सिफारिशों के अनुसार, श्रमिकों की वार्षिक आधार पर रेडियोलॉजिकल जांच (छाती एक्स-रे) की जानी चाहिए। हालाँकि, मानव शरीर को विकिरण के अनावश्यक जोखिम से बचाने के लिए, नियमित वार्षिक छाती का एक्स-रे नहीं किया जाता है। अनुशंसित, जब तक कि अत्यावश्यक और आवश्यक न हो। न्यूमोकोनियोसिस के विकास की विलंबता अवधि को ध्यान में रखते हुए, शुरुआती 10 वर्षों तक हर दो साल में छाती का एक्स-रे कराने की सिफारिश की जाती है और प्रगति के आधार पर, पुनः शेड्यूल को अपनाया जा सकता है। 10 वर्षों के बाद इसे रोग के विकास और/या प्रगति के आधार पर वार्षिक आधार पर या उससे पहले किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य रिकॉर्ड को आसानी से पुनर्प्राप्त करने योग्य तरीके से बनाए रखा जाना चाहिए, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में। जब भी कर्मचारी की जांच होनी हो, उसे वापस बुलाने

का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्लेसमेंट से पहले मेडिकल जांच और रिकॉर्ड का उचित दस्तावेजीकरण अनिवार्य होना चाहिए।

पर्यावरण, स्वास्थ्य पर एक व्यापक दस्तावेज़ और कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए विशिष्ट सुरक्षा तैयार की जानी चाहिए। इसमें ताप विद्युत संयंत्रों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कानूनी प्रावधानों, प्रबंधन प्रणाली, सर्वोत्तम प्रथाओं, सुरक्षित संचालन प्रक्रियाओं आदि को शामिल किया जाना चाहिए। यह प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में काम करेगा।

सभी सीएफटीपीपी में पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ होनी चाहिए, जो तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट योग्य हों। भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित। संयंत्र स्तर पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में सहभागी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

सीएफटीपीपी का अधिभोगी स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों पर कैज़ुअल/संविदात्मक श्रम के लिए फ़ैक्टरी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। महिला

श्रमिकों के मामले में, फ़ैक्टरी अधिनियम के प्रावधानों, जो भी लागू हों, पर ध्यान दिया जाएगा।

13. रिपोर्ट का पैरा 3.1.2 विशेष रूप से सीएफटीपीपीएस में श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों को संदर्भित करता है। रिपोर्ट में (ए) धूल, (बी) गर्मी, (सी) शोर, (डी) कंपन, (ई) विकिरण, और (एफ) कचरे के निपटान से जुड़े खतरों का भी उल्लेख किया गया है। उन स्वास्थ्य खतरों से निपटने के बाद, समिति ने कहा है कि कोयले की धूल के साँस लेने से जुड़े खतरों के परिणामस्वरूप न्यूमोकोनियोसिस (कोयला श्रमिक न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस) और गैर-न्यूमोकोनियोटिक लगातार श्वसन रुग्णता जैसे धूल से संबंधित रुग्णता का विकास हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति, अस्थमा, आदि। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि जब भी एस्बेस्टस फाइबर का उपयोग इन्सुलेशन और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो एस्बेस्टस फाइबर के साँस के कारण श्रमिकों में एस्बेस्टॉसिस की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फ्लाई ऐश के संपर्क में आने से सीसा, आर्सेनिक और पारा जैसे धातु घटकों सहित अन्य रुग्णताएं भी मौजूद हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएफटीपीपी के विभिन्न परिचालनों में उपयोग किए जाने वाले अन्य रसायनों के संपर्क के कारण मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

14. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विभिन्न थर्मल पावर प्लांटों में उच्च गर्मी के व्यावसायिक संपर्क से गर्मी संबंधी विकार भी हो सकते हैं, जैसे हीट थकावट। अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में शोर और कंपन के संपर्क में आने से शोर-प्रेरित श्रवण हानि, रक्तचाप में वृद्धि, क्षेत्रीय संवहनी विकार, मस्कुलो-कंकाल संबंधी विकार, मानवीय त्रुटि, उत्पादकता हानि, दुर्घटनाएं और चोटें हो सकती हैं। विशेष रूप से उत्पन्न फ्लाई ऐश और इसके उपयोग किए गए उत्पादों से विकिरण के खतरों के संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का भी संकेत दिया गया है। विभिन्न रसायन जो अक्सर सीएफटीपीपी में उपयोग किए जाते हैं, जैसे क्लोरीन, अमोनिया, ईंधन तेल, और कामकाजी और सामुदायिक वातावरण में जारी किए जाते हैं, जो तीव्र और साथ ही दीर्घकालिक स्वास्थ्य हानि की विस्तृत श्रृंखला के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। चूंकि सीएफटीपीपी में बड़ी मात्रा में कोयला, अन्य ईंधन और रसायन संग्रहीत और उपयोग किए जाते हैं, इसलिए आग और विस्फोट का खतरा अधिक होता है, जब तक कि सामग्री को संभालने में विशेष सावधानी न बरती जाए। इसका कारण हो सकता है आग और विस्फोट इसके अलावा, यह भी बताया जा सकता है कि मैन्युअल सामग्री प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्य संचालन में, श्रमिकों को मस्कुलो-कंकाल संबंधी विकारों और चोटों के संभावित जोखिमों के साथ उच्च स्तर के शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ता है।

15. पैरा 3.1.5 में रिपोर्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय और स्पॉट/ऑफ-स्पॉट आपातकालीन योजनाओं पर आपातकालीन तैयारियों के लिए उठाए जाने वाले कदम और सामाजिक कल्याण के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव देती है।

16. हम देख सकते हैं कि की गई सिफ़ारिशों का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें किस हद तक व्यवहार में लाया जाता है और सीएफटीपीपी में काम से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य खतरों से श्रमिकों को बचाने के लिए क्या निवारक कार्रवाई की जाती है, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। बताया गया है कि विभिन्न सीएफटीपीपी में कार्यरत कई कर्मचारी पहले बताई गई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें गंभीर स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए सीएफटीपीपी और भारत संघ और वैधानिक अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और मुआवजे आदि सहित उन्हें दिए गए चिकित्सा उपचार की विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

17. हमने देखा है कि सीएफटीपीपीएस देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि में फैले हुए हैं, और इस न्यायालय के लिए यह जांचना व्यावहारिक नहीं होगा कि सीएफटीपीपीएस सुरक्षा मानकों और नियमों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। और पूरे देश में विभिन्न सीएफटीपीपीएस में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य से

संबंधित नियम। हमारा मानना है कि इन पहलुओं की जांच संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा बेहतर ढंग से की जा सकती है जिनके अधिकार क्षेत्र में ये बिजली संयंत्र स्थित हैं। उच्च न्यायालय को जांच करनी चाहिए कि क्या पर्याप्त और प्रभावी स्वास्थ्य वितरण प्रणाली मौजूद है और क्या श्रमिकों की व्यावसायिक स्वास्थ्य स्थिति का कोई मूल्यांकन किया गया है। उच्च न्यायालय को यह भी जांचना चाहिए कि क्या उन्हें कोई प्रभावी चिकित्सा उपचार दिया गया है।

18. इसलिए, हमें लगता है कि इसे हटा देना उचित है विभिन्न उच्च न्यायालयों को अपने-अपने राज्यों में स्थित सीएफटीपीपी से आवश्यक रिपोर्ट मंगाने के बाद राज्य सरकारों की सहायता से इन मुद्दों की जांच करने के लिए भेजा जाता है। उक्त उद्देश्य के लिए, हम इस निर्णय की एक प्रति संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ निम्नलिखित राज्यों के उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को भेज रहे हैं:

(ए) उत्तर प्रदेश

(बी) छत्तीसगढ़

(सी) महाराष्ट्र

(डी) आंध्र प्रदेश

(ई) पश्चिम बंगाल

(एफ) मध्य प्रदेश

(जी) बिहार

(एच) उड़ीसा

(आई) हरियाणा

(जे) राजस्थान

(के) पंजाब

(एल) दिल्ली/एनसीटी दिल्ली

(एम) गुजरात

(एन) कर्नाटक

(ओ) केरल

(पी) तमिलनाडु

(क्यू) झारखंड

(आर) असम

19. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ (एनआईओएच) की वर्ष 2011 की कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे शीर्षक वाली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के

महासचिव द्वारा उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को उपलब्ध कराई जा सकती है। उपरोक्त राज्यों के हम यह स्पष्ट करते हैं कि रिपोर्ट कुछ पहलुओं में बिल्कुल भी व्यापक नहीं है और संबंधित उच्च न्यायालय अपने संबंधित राज्यों में सीएफटीपीपीएस के कामकाज के बारे में रिपोर्ट मंगाने के बाद स्वतंत्र रूप से इस निर्णय में पेश किए गए मुद्दों की जांच कर सकते हैं। उपरोक्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को इस निर्णय को संबंधित राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष रखना चाहिए ताकि संबंधित राज्यों में सीएफटीपीपीएस में काम करने वाले श्रमिकों के व्यापक हित में स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू की जा सके।

20. तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

रिट याचिका निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।